न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

मामला सं. 193 और वर्ष 2013

पार्वती देवी धर्मपत्नी प्रकाशचन्द जाति महाजन निवासी म.नं. 162, रामेश्वर धाम, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर।

..... आवेदक

विषयः– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांकें 16/9/13

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:–

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल	स्वामित्व
तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	ग्राम किशोरपुरा	144	0.26	पार्वती देवी धर्मपत्नी प्रकाशचन्द जाति महाजन निवासी म.नं. 162, रामेश्वर धाम, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर।
		145	0.45	
		151	0.42	
		152	0.42	
		153	0.66	
		154	0.41	
		155	0.47	
		156	0.60	
		157	0.50	
		158	1.67	
		159	0.20	
		160	0.21	
		162	0.27	
		366/507	0.02	
		किता 14	रकबा 6.56 हैक्ट.	
तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	ग्राम पंवालिया	964	0.51	पार्वती देवी धर्मपत्नी प्रकाशचन्द जाति महाजन निवासी म.नं. 162, रामेश्वर धाम, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर।
		965	0.70	
		967	0.05	
		किता 3	रकबा 1.26 हैक्ट.	

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बैंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन ओर दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिवृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर कृषि आवासीयप्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 144 रकबा 0.26 हैक्ट. ख.नं. 145 रकबा 0.45 हैक्ट. ख.नं. 151 रकबा 0.42 हैक्ट. ख.नं. 152 रकबा 0.42 हैक्ट. ख.नं. 153 रकबा 0.66 हैक्ट. ख.नं. 154 रकबा 0.41 हैक्ट. ख.नं. 155 रकबा 0.47 हैक्ट. ख.नं. 156 रकबा 0.60 हैक्ट. ख.नं. 157 रकबा 0.50 हैक्ट. ख.नं. 158 रकबा 1.67 हैक्ट. ख.नं. 159 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 160 रकबा 0.21 हैक्ट. ख.नं. 162 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 366/507 रकबा 0.02 हैक्ट. किता 14 रकबा 6.56 हैक्ट. एवं ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 964 रकबा 0.51 हैक्ट. ख.नं. 965 रकबा 0.70 हैक्ट. ख.नं. 967 रकबा 0.05 हैक्ट. किता 3 रकबा 1.26 हैक्ट. दोनों ग्रामों

उपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

के कुल किता 17 कुल रकबा 7.82 हैक्ट. में स्थित भूमि पर आवेदक को अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 16/8/13 को पारित किया गया।

(संजय जैन)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-11/2013 4139 दिनांक 16/8/13

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी-

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र को उनके पंजीयन कमांक 179658 दिनांक 27.8.13 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(संजय जैन)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
जयपुर